न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/232

मिसलनम्बर–68 / 2024

धनराज पुत्र श्री नन्दकिशोर माली आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड नं0 19 ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.श्री बड़े मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा जर्ये अध्यक्ष प्रथम पीठस्थ विठठलनाथ जी महाराज कोटा

2.चेतन सेठ कोषाध्यक्ष / व्यवस्थापक मुनाफा काश्त मन्दिर भूमि श्री बडे मथुरश जी टेम्पल बोर्ड कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 25/8/25

उपस्थितिः–

1.श्री महेश योगी अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा कोटा का स्थाई निवासी है जो ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान कोटा टेम्पल बोर्ड मथुरेश जी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0.6100 है0 जिसके खाता संख्या नया 77 पुराना 235 ग्राम मण्डानिया, पटवार हल्का नयानोहरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी को विगत वर्ष 2014 से मुनाफा काश्त पर प्रत्येक वर्ष लगातार काश्त करता आ रहा है, उक्त आराजी रिकार्ड में मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज है। उक्त कृषि आराजी की व्यवस्था श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा जर्ये अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष / व्यवस्थापक प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 द्वारा की जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की आराजी को लगातार मुनाफा काश्त पर काश्त करता आ रहा है, जिसके पेटे वर्ष 2014 में खसरा नम्बर 192 की 0.61 है०

उपखण्ड अधिकारी
को.

आराजी को रसीद सख्या 1101 से 10,000/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 802 दिनांक 08–03–2015 से 10,000/–रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 813 दिनांक 14–04–2015 से 14,000/ – रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1061 दिनांक 07–05–2016 से 25,000/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1307 दिनांक 02–04–2019 से 10,000/–रूपये जमा करवाये, सीद संख्या 1202 दिनांक 04–04–2018 से 10,200/–रूपये जमा करवाये, रसीद सख्या 1236 दिनांक 07–05–2018 से 15.000/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1141 दिनांक 12–05–2017 से 15,200/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1390 दिनांक 22–06–2019 से 15,200/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1423 दिनांक 18–05–2020 से 26,500/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1531 दिनांक 01–04–2021 से 27,000/– सपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1592 दिनांक 08–04–2022 से 29,000/– रूपये जमा करवाये, रसीद संख्या 1684 दिनांक 04–04–2023 से 31,000/–रूपये जमा करवाये, इस प्रकार प्रार्थी प्रत्येक वर्ष उक्त आराजी के पेटे मुनाफा काश्त की प्रतिवर्ष समस्त शशि वर्ष 2014 से लगातार जमा करवाकर आराजी पर काश्त करता आ रहा है, तथा सिंचाई विभाग को उक्त भूमिं की पिलाई की राशि भी जल संसाधन विभाग में जमा करवाता आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त कृषि आराजी को वर्ष 2023 में जब प्रतिपक्षीगण से मुनाफा काश्त पर प्राप्त किया तो उक्त भूमिं में प्रथम फसल प्राप्त करने के पश्चात भिण्डी के खेती करने के लिये भूमिं को उपजाऊ बनाने के लिये देशी खाद व अन्य उर्वरको का प्रयोग कर अत्यधिक पैसा खर्च करके भूमिं को फसल करने के योग्य बनाया और भिण्डी की फसल बोई, अभी वर्तमान में प्रार्थी की भिण्डी की फसल में भिण्डी की फसल आना शुरु हो गया है, परन्तु जानबूझ कर प्रतिपक्षीगण उक्त भूमिं को अन्य व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर देने को आमादा है,जबकि उक्त भूमिं की मुनाफा काश्त को प्रार्थी विगत वर्षों की भांति बढाकर देने को तैयार एवं तत्पर है। परन्तु प्रतिपक्षीगण ने मौके पर जाकर उक्त आराजी को बोली लगाकर दिये जाने के लिये प्रार्थी से कहा, परन्तु प्रार्थी के मना करने पर भी प्रतिपक्षीगण मुनाफा काश्त के लिये बोली लगाने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी द्वारा बोई गई भिण्डी की फसल चोपट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी ने काफी मेहनत करके एवं पैसा खर्च करके उक्त भूमिं को उपजाऊ बनाने के लिये देशी खाद एवं अन्य उर्वरक डालकर फसल के लिये तैयार किया है, जिसमें प्रार्थी का काफी पैसा खर्च हुआ है, किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को नुकसान कारित करने के लिये अन्य व्यक्ति को उक्त आराजी को बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर देने पर आमदा है, जिसके लिये प्रार्थी ने दिनांक 11–04–2024 को प्रतिपक्षीगण से उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा बोई गई भिण्डी की.फसल को नष्ठ नहीं करने तथा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आगामी अवधि की राशि नियमानुसार जमा करने के लिये प्रतिपक्षीगण से कहा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी से आगामी अवधि की राशि लेने से मना कर दिया, उक्त आराजी की मुनाफा काश्त की बोली लगाकर अन्य व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर जूपाने की धमकी दी है, इस कारण प्रार्थी की भिण्डी की फसल नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिये प्रार्थी को माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ता–फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाकर प्रतिपक्षीगण को उनके उक्त अवैध कृत्य से रूकवाया जाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है, और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है, यदि माननीय न्यायालय द्वारा ता– फैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रतिपक्षीगण के विसद्ध उक्त आशय की अस्थाई निषैधाज्ञा पारिति नहीं की गई तो प्रतिपक्षीगण अपने मकसद में कामयाब हो जायेगें, तथ प्रार्थी का वाद पेश करना ही बेकार हो जायेगा, तथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना किसी प्रकार से सम्भव नहीं होगा, तथा प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निपैद्याज्ञा ता– फैसला दावा पारित की जावे कि – प्रतिपक्षीगण को आदेशित करे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आशाजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0.6100 है० जिसके खाता संख्या नया 77 पुराना 235 ग्राम मण्डानिया, पटवार हल्का नयानोहरा, भू– अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा को प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर नही दे, तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा बोई गई भिण्डी की फसल को प्रतिपक्षीगण नष्ट नही करे, तथा उक्त आराजी को प्रतिपक्षीगण बोली लगाकर अन्य किसी व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर नही दे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ग्राम मण्डानिया का स्थायी निवासी होना जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते की आराजी खसरा नं0 192 रकबा 0.61 है0 नया खाता सं० 77 व 235 ग्राम मण्डानिया , पटवार हल्का नयानोहरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज रिकार्ड होना व उक्त आराजी को वर्ष 2014 से 2023 तक ही प्रार्थी द्वारा मुनाफा काश्त करना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र मे मात्र 2014 से 2023 तक मात्र 9 वर्ष तक हर वर्ष प्रार्थी को देते रहे किन्तु वादी प्रतिवादी गण का मुनाफे की जो राशि बनती है। वह देना नही चाहता और जबरन दादागिरी करता है। जबकि वहाँ पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्थित अन्य आराजी का वर्तमान में ज्यादा मुनाफा आ रहा है और आ सकता है। प्रार्थना पत्र असत्य बनावटी कथनो पर आधारित होने से स्वीकार नही है प्रार्थी अवैध रूप मुनाफा काश्त कर रहा है जिसको बेदखल करने का अधिकार प्रतिपक्षी गण को है। प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी गण वर्ष 2024 में वादी को मुनाफा काश्त पर नही देना चाहते क्योकि प्रतिपक्षी गण का उक्त आराजी के मुनाफा काश्त के अधिक राशि में जोतने के लिये अन्य तैयार हैं परन्तु प्रार्थी दादागिरी के बल पर अन्य काश्तकार को आराजी हाकने नही देता लडाई झगडे पर आमादा रहता है। प्रार्थी प्रतिपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी के खातेदार ठाकुर जी श्री बडे मथुरेश जी परप्युच्युल माइनर हैं और उनकी तरफ से प्रतिपक्षी गण ही उनकी कृषि आराजीयात कि व्यवस्था सम्भालते हैं। आज के परिपेक्ष्य में कृषि भूमियो पर मुनाफा काश्त की दरे बडी हुयी है वादी मंदिर की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जबकि प्रतिपक्षी गण वादी से किये गये अनुबंध को निरस्त कर चुके है। इस लिये अब वादी को कोई अधिकारी उक्त कृषि आराजी पर फसल करने व कब्जा का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी ने उक्त कृषि भूमि जो पहले से उपजाऊ है और स्वयं प्रार्थी 2014 से ही मुनाफा काश्त करता रहा हैं। इसलिये प्रार्थी का यह कहना की प्रार्थी ने उपजाऊ बनाया है और काफी पैसा लगाया है असत्य बनावटी हैं। आराजी पहले से ही उपजाउ रही है। प्रार्थी ने दादागिरी कर दौराने दावा बिना अनुमति के जो फसल बोयी है उस पर प्रतिपक्षी गण का अधिकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर विनय है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न शर्तो की पालना आवश्यक है।
1.क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2.क्या सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ?

क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वे शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रत्येक वर्ष उक्त आराजी के पेटे मुनाफा काश्त की प्रतिवर्ष समस्त शशि वर्ष 2014 से लगातार जमा करवाकर आराजी पर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करता आ रहा है, तथा सिंचाई विभाग को उक्त भूमिं की पिलाई की राशि भी जल संसाधन विभाग में जमा करवाता आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त कृषि आराजी को वर्ष 2023 में जब प्रतिपक्षीगण से मुनाफा काश्त पर प्राप्त किया परन्तु जानबूझ कर प्रतिपक्षीगण उक्त भूमिं को अन्य व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर देने को आमादा है, जबकि उक्त भूमिं की मुनाफा काश्त को प्रार्थी विगत वर्षों की भांति बढाकर देने को तैयार एवं तत्पर है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त आराजी ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त आराजी को विगत कई वर्षो से मुनाफा काश्त कर रहा है। उक्त आराजी ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण को उक्त भूमि को मुनाफा काश्त पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

क्या सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है?

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया है। उक्त आराजी ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी जिस कारण से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता अतः जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की भी कोई सम्भावना नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांकः 25/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा